नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ताम
जारी हु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 64/2015

1– श्रीमति लाडू पत्नि श्री सत्तार जी मंसूरी पुत्री स्व0 श्री जमाल जी जाति पिनारा निवासी ग्राम लोरडी तहसील विजयनगर जिला–अजमेर हाल निवासी ग्राम एकलसिंगा तहसील भिनाय जिला–अजमेर

2– श्रीमति बरगत पत्नि श्री कमाल जी मंसूरी पुत्री स्व0 श्री जमाल जी जाति पिनारा निवासी ग्राम लोरडी तहसील विजयनगर हाल निवासी ग्राम आगूंचा तहसील हुरडा जिला–भीलवाडा

3– श्रीमति मदीना पत्नि श्री अली जी मंसूरी पुत्री स्व0 श्री जमाल जी जाति पिनारा निवासी ग्राम लोरडी तहसील विजयनगर हाल निवासी ग्राम सिंगावल तहसील भिनाय जिला–अजमेर

––––प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्री खाजू पुत्र स्व0 श्री जमाल जी पिनारा जाति पिनारा निवासी ग्राम लोरडी तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

2– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय विजयनगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

––––––अप्रार्थीगण

3– श्रीमति जमली पत्नि स्व0 श्री जमाल जी पिनारा जाति पिनारा निवासी ग्राम लोरडी तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0

––––प्रफोर्मा अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 6.12.2017

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांक्षत निवेदन किया है, कि मौजा पीथावास पटवार क्षैत्र केलू तहसील बिजयनगर के खसरा नंबर 446 रकबा 05–07–00, 447/1 रकबा 00–00–10, 447/2 रकबा 03–03–00, 449 रकबा 00–05–10, 451 रकबा 00–12–10, 452 रकबा 04–16–10, 453 रकबा 03–07–00, 454 रकबा 04–16–00, 455 रकबा 00–17–00, 456 रकबा 00–02–00, 457 रकबा 02–19–10, 458 रकबा 02–10–00 कुल रकबा 28–17–10 स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री जमाल पुत्र श्री अजीमा जी पिनारा की खातेदारी भूमियां थी एंव उनके मरणोपरांत वादग्रस्त भूमियां उनके वारीसान के रूप में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के भाई अप्रार्थी संख्या 1 एंव प्रार्थीगण की माता अप्रार्थी संख्या 3 सभी में पांच हिस्सो में विभाजित होनी थी किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नही किया गया और वर्तमान में प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। इसलिये प्रार्थीगण तीनो का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होना चाहिये किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलीभगती करते हुये अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुदा भूमियो नही होकर पुश्तैनी भूमियां है। तथा प्रार्थीगण का विवादित भूमियों पर कब्जा संयुक्त रूप से चला आ रहा है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज होने के कारण से प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा अप्रार्थी संख्या 3 की उम्र 80 वर्ष होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण को उनसे मिलने भी नही देता है। उक्त आशय का एक वाद प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रखा है। तथा उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया मजबूती से बनता है, एंव सहुलियत का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि विवादित भूमियो से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे तथा विवादित भूमियो को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतू अप्रार्थीगण का पाबंद करने के आदेश पारीत करने की कृपा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थी संख्या 1

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वादीगण ने अपने मूल वाद धारा 88, 188 व 53 का अनुतोष चाहते हुये वाद प्रस्तुत किया जाना पाया गया। तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2051 से 2054 में विवादित भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 के साथ अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमियो में किस प्रकार काबिज चले आ रहे है, उसके विषय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। और प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में पुश्तैनी भूमियां होने बाबत कथन किया उसके विषय में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक में कोई प्रथम दृष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 6/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: